



क्रमांक / ...579.../विद्योचित/2025

भोपाल, दिनांक 21/01/2025

प्रति,

समस्त प्राचार्य,
मान्यता प्राप्त संस्थाएं,
मध्यप्रदेश

समय-सीमा

विषय:- CWSN (Children with Special Need) दिव्यांग, श्रेणी के छात्रों द्वारा आगामी परीक्षाओं में ली जाने वाली सुविधाओं के संबंध में।

संदर्भ:- 1. कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक/3306/विद्योचित/2022, भोपाल, दिनांक 08.02.2022
2. कार्यालयीन पत्र क्र./542/विद्योचित/2025 भोपाल, दिनांक 01.01.2026

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा मण्डल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 में CWSN (दिव्यांग) श्रेणी के छात्रों द्वारा जिन सुविधाओं का लाभ मण्डल की आगामी परीक्षाओं में लिये जाने हेतु जानकारी एकत्रित करने के उद्देश्य से, समस्त संबंधित शाला प्राचार्यों को दिनांक 15.01.2026 तक इन छात्रों द्वारा ली जा रही सुविधाओं की जानकारी एम.पी. ऑनलाईन पर शाला के ~~क26~~ लॉगिन के माध्यम से दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्धारित तिथि 15.01.2026 के स्थान पर संस्था प्राचार्य उक्त जानकारी नवीन तिथि दिनांक 31.01.2026 तक अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना सुनिश्चित करे। CWSN श्रेणी के स्वाध्यायी छात्रों हेतु उक्त जानकारी संबंधित अग्रेषण संस्था प्राचार्य दर्ज करेंगे।

अतिरिक्त सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21/01/2025

पृ. क्रमांक / ...580.../विद्योचित/2025

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, म0प्र0, भोपाल।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म0प्र0, भोपाल से अनुरोध है कि वे उपरोक्त के संबंध में शाला प्राचार्यों को पृथक से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. निज सचिव, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव मा.शि. मंडल, म0प्र0, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. सी.एस.ओ. (डाटा कक्ष) माध्यमिक शिक्षा मंडल म0प्र0, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मंडल म0प्र0, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल



क्रमांक/3306/विद्योचित/2022

भोपाल दिनांक ०४ / 02 / 2022

// विज्ञप्ति //

मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले केवल "दृष्टिहीन (Blindness, Low-vision), मानसिक विकलांग एवं हाथ की हड्डी टूट जाने अथवा हाथ की खराबी के कारण लिखने में असमर्थ छात्रों को लेखक चयन/विषय चयन/अतिरिक्त समय/परीक्षा शुल्क से छूट/कम्प्यूटर या टाईप रायटर चयन की सुविधायें" प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

2- शैक्षणिक सत्र 2021-2022 से कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले निम्न दिव्यांग छात्र/छात्राओं को भी उपरोक्त सुविधायें प्रदान की जावेंगी-

अ- शारीरिक रूप से विकलांग छात्र

1. Loco Motor Disability- Leprosy Cured persons, Cerebral Palsy, Dwarfism, Muscular Dystrophy, Acid Attack victim
2. Visual impairment- Blindness, Low vision
3. Hearing impairment, Deaf, Hard of hearing
4. Speech & Language Disability

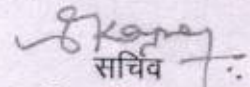
ब- Intellectual Disability

1. Specific Learning Disabilities
2. Autism Spectrum Disorder

स- Mental illness,

- द- 1. Chronic Neurological Conditions -Multiple Sclerosis, Parkinson's disease
2. Blood Disorder - Haemophilia, Thalassemia, Sickle cell disease

3- सभी दिव्यांग छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर उनका मूल्यांकन करते हुये अंक प्रदान किये जाने की सुविधा रहेगी। उक्त बहुविकल्पीय प्रश्न नियुक्त किये गये बाह्य मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार किये जावेंगे।


सचिव

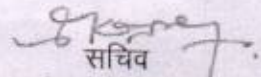
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक- ०४ / 02 / 2022

पृष्ठांकन क्रमांक/3306-7/विद्योचित/2022

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 - 2- निज सचिव- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 - 3- आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 - 4- समस्त-जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
 - 5- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 - 6- समस्त- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सहपदेन अपर संचालक शिक्षा, मध्यप्रदेश।
 - 7- समस्त- संभागीय संयुक्त, संचालक, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
 - 8- समस्त- संभागीय उपायुक्त/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र.।
 - 9- समस्त- जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
 - 10- आंचलिक/समस्त-संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।
 - 11- समस्त- प्राचार्य, जिला समन्वयक संस्थाएँ, मध्यप्रदेश।
 - 12- निज सचिव- अतिरिक्त सचिव/उप सचिव/परीक्षा नियंत्रक/सी.एस.ओ./समस्त-प्रथम श्रेणी अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल